

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू :- 3-9-2024

दस्ता नं० 171 / 2024

प्रार्थना पत्र बाबत धारा अस्थायी निषेधाज्ञा

ल आई०डी० नम्बर 2024 / 395

उनवान

बाबद पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—सायल

बनाम

धर्मसिंह पुत्र नहने जाति जाट निवासी हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—गैरसायल-07

दिनांक	फर्द अहकाम
3-9-2024	<p>आज यह प्रार्थना पत्र सायलान की ओर से श्री शाहिद अली अधिवक्ता. ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायलान को एकतरफा सुना गया। मजाहमत मदाखलत नहीं करने, बेदखल नहीं करने व रहनव्यय नहीं करने हेतु उभयपक्ष को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1985 वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ पर मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु एवं तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं किये जाने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। वास्ते रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 01.10.2024 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">(हेमराज गुर्जर) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p> <p>1/10/24 क्लराय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी... को पेश हों 22-11-24</p>
4/10/24	<p>पत्रावली प्राप्त मिश्रत क्लरी के आपत्र पर पेश की सायल व सायल वकील उभयपक्षी सायल व सायल वकील ने उभयपक्ष करण कि सायल व सायल वकील उभयपक्ष आजीवनी चलाना बाधना सुनिश्चित की सायल व सायल वकील उभयपक्ष नोटिस में शमसुद्दौल बनाम अजयसिंह मोहम्मद के शारिफ किया जाता है। पत्रावली केसर कुमार येकर कसबत के कसबत।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मिट्टी (करौली)</p>

Not  
Recd

